

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक:-एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/6

जयपुर, दिनांक:-9-4-15

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प0.2(495)राज/ख/68 दिनांक 07.8.1971 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्व (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान।
3. निजी सचिव, उद्योग मंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर जैसलमेर।
9. आयुक्त, उद्योग विभाग, तिलक मार्ग, जयपुर।
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
13. उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
14. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव